प्रेस नोट थाना कोतवाली
जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक- 14.07.2025

"थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा प्रतिबंधित चाईनीज मांझा 08 बंडल व 03 बंडल प्लास्टिक मांझा के साथ 04 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व क्रियाशील एंव चिन्हित किये गये अपराधियों एंव अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य मे प्रचलित अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम को बडी कामयाबी प्राप्त हुई।

- **संक्षिप्त विवरण**

दिनांक 14.07.2025 को वादी श्री रजनीश मिश्रा पुत्र ज्ञानेन्द्र कुमार मिश्रा नि0 बृजविहार कॉलोनी थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर द्वारा लिखित सूचना बाबत अभियुक्तगण 1. अमन पुत्र राजकुमार 2. केशव पुत्र राकेश चन्द्र नि0 मो0 बहादुरगंज थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर 3. सुशान्त पुत्र पंकज 4. गौरव पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण मो0 खिरनीबाग थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर 5. रचिन 6.शान निवासीगण बहादुरगंज थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर द्वारा चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाया जाना जिससे वादी के हाथ का अंगूठा गम्भीर रूप से घायल हो जाने तथा सूचना पर मौके पर 112 पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.अमन पुत्र राजकुमार 2.केशव पुत्र राकेश चन्द्र नि0 मो0 बहादुरगंज 3.सुशान्त पुत्र पंकज 4.गौरव पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण मो0 खिरनीबाग थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर को मय मांझा-पतंग के साथ पकड़े जाने के सम्बन्ध में दाखिल की। वादी द्वारा दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 315/2025 धारा 223(b)/125(a)/293 BNS व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधि0 1986 बनाम अमन आदि 06 नफर उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। पीआरवी 1346 के कर्मचारी हे0का0 सुशील गिरि द्वारा उ0नि0 श्री भूपेन्द्र कुमार प्रभारी चौकी बेरी को सूचना दी गयी कि प्रतिबंधित 08 बंडल चाईनीज मांझा व 03 बंडल प्लास्टिक मांझा के चार अभियुक्तगण को पकड़ा गया है जिनकी पतंगबाजी से कालर रजनीश मिश्रा पुत्र ज्ञानेद्र कुमार मिश्रा निवासी बृज बिहार कालोनी थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर के बांये हाथ के अंगूठे में चोट लग गयी है। इस सूचना पर उ0नि0 भूपेन्द्र कुमार मय फोर्स के मौके पर जाकर बरामद शुदा माल कब्जा पुलिस में लेकर आरोपीगण को धारा 35(3) बीएनएसएस की नोटिस तामील कर लिखा पढ़ी कर वापस आ ही रहे थे कि अभियुक्तगण 1.अमन पुत्र राजकुमार 2.केशव पुत्र राकेश चन्द्र नि0 मो0 बहादुरगंज 3.सुशान्त पुत्र पंकज 4.गौरव पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण मो0 खिरनीबाग थाना सदर

बाजार शाहजहाँपुर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर कि तुम्हारी वजह से हम फंस गये उत्तेजित होकर एक दूसरे पर आमादा फौजदारी हो गये । मौके पर अंदेशा शान्ति भंग के दृष्टिगत उपरोक्त चारों अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर चालान धारा 170/126/135 बीएनएसएस में माननीय न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर भेजा जा रहा है ।

- **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण** :-

  1.अमन पुत्र राजकुमार नि0 मो0 बहादुरगंज थाना सदर बाजार शाहजहांपुर
  2.केशव पुत्र राकेश चन्द्र नि0 मो0 बहादुरगंज थाना सदर बाजार शाहजहांपुर
  3.सुशान्त पुत्र पंकज निवासी मो0 खिरनीबाग थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर
  4.गौरव पुत्र ओमप्रकाश निवासी मो0 खिरनीबाग थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर

- **सम्बन्धित अभियोग का विवरणः-**

  1.मु0अ0सं0 315/2025 धारा 223(b)/125(a)/293 BNS व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधि0

- **बरामदगी का विवरणः-**

  प्रतिबंधित चाईनीज मांझा 08 बंडल व 03 बंडल प्लास्टिक मांझा

- **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-**

  1.प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार सिंह थाना कोतवाली शाहजहाँपुर
  2.उ0नि0 श्री भूपेन्द्र कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर
  3.उ0नि0 मनोज कुमार सरोज थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर
  4.हे0का0 375 बिजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर
  5.का0 2123 राजेश कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर
  6.हे0का0 135 सुशील गिरि पीआरवी 1346 थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर
  7.का0 2042 आकाश पीआरवी 1346 थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर